12.11.2022

<u>आज दिनाँक को नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रकरण निराकरण हेतु रखा गया।</u>

प्रार्थीया एवँ आहत श्रीमती शर्मिला बरेठ।

अभियुक्तगण श्रीमती कौशिल्या बरेठ, श्रीमती सुशीला बरेठ, सोनू बरेठ एवं संजय बरेठ।

उभय पक्षकारों ने संयुक्त रुप से आवेदन प्रस्तुत कर राजीनामा की अनुमति हेतु निवेदन किया है।

आवेदन पर विचार किया गया।

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 506, 323, 34 भा.द.सं. के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धारा 294 एवँ 506 भा.द.सं. न्यायालय की आज्ञा से पीडित पक्षकार द्वारा राजीनामा किये जाने योग्य है एवँ धारा 323 भा.दं.सं. न्यायालय की अनुमति के बिना ही राजीनामा योग्य है।

प्रार्थीया/आवेदक पीडित महिला है, वह राजीनामा करने के लिए विधि के अनुसार सक्षम है। अभियुक्तगण पूर्व दण्डित नही है। उभय पक्ष आपस में शांति एवँ सद्भावना से रहने के लिए बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से आपस में राजीनामा कर लिये है। अतः उभयपक्ष के बीच शांति एवँ सद्भभावना बनाये रखने के लिए अभियोगी को राजीनामा की अनुमति प्रदान की गई।

अभियोगी एवँ अभियुक्तगण के द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया गया है कि इस प्रकरण में उनके मध्य स्वेच्छापूर्वक राजीनामा हो गया है। राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा लोकहित के विरुद्ध नहीं है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया।

अभियुक्तगण श्रीमती कौशिल्या बरेठ, श्रीमती सुशीला बरेठ, सोनू बरेठ एवं संजय बरेठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की

धारा 320(8) के अनुसार धारा 294, 506, 323/34 भा.द.सं. के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा 1 नग बांस का डण्डा विधिक दृष्टि से मूल्यहीन होने से विधिवत नष्ट किया जावें।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का विधिवत परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि के भीतर अभिलेख विधिवत अभिलेखागार भेजा जावें।

सही/-

सदस्य

श्री बुद्धेश्वर सिंह पटेल

सही/-

पीठासीन अधिकारी

(रवि कुमार महोबिया)

लोक अदालत डभरा, खण्ड पीठ क्रमाँक 18